रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 123] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st March 1973

OPEN GENERAL LICENCE NO. XCIV

S.O. 190(E).—In pursuance of the Imports (Control Order,) 1955, the Central Government hereby gives general permission to all persons to import into India from any country in the world except the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Tibet region of China, Portugal and Pakistan any goods of the description specified in the schedule below:—

Provided that:—

(i) In the case of goods of the description specified in the schedule below, such goods have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Tibet-region of China, Portugal or Pakistan ;

(ii) such goods are shipped on through consignment to Ind a on or before 30th September 1973, without any grace period whatsoever; and

(iii) nothing in this licence, shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

SCHEDULE TO O.G.L. No. XCIV

Serial No.	Parts of the Schedule	Description of goods
43	IV	Wattle extract.
44	IV	Wattle bark.
45	IV	Bark for tanning excluding wattle bark.
143(c)	IV	Pickled hides, skins, pelts, splits and parts thereof.
144(a)	IV	Hides and skins, raw or salted where the value of hides and skin is more than that of wool hair thereof.
6	V	Quebracho extract, Chestnut extract and modified Eucalyptus extract (Myrtan).

No. 1/73]

S.G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973।

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या : 94

एस० ओ० 190 (अ).—आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सभी व्यक्तियों को नीचे की अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी माल का दक्षिणी अफ्रीका संघ/ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया, चीन का तिब्बत क्षेत्र, पुर्तगाल और पाकिस्तान को छोड़ कर संसार के किसी भी देश से भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

बशर्ते कि:—

(1) निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण का माल दक्षिणी अफ्रीका संघ/ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया, चीन का तिब्बत क्षेत्र, पुर्तगाल या पाकिस्तान में उत्पादित या निर्मित न किया गया हो ;

(2) ऐसा माल बिना किसी रियायती अवधि के, चाहे जो भी हो, 30 सितम्बर, 1973 को या इससे पहले भारत को परेषण के माध्यम से पोतवाहित किया जाता है; और

(3) जब ऐसे माल का आयात किया जाता हो उस समय उसके आयात पर लागू कोई निषेध या नियम इस लाइसेंस के किसी माल के लिए लागू नहीं होगा।

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या : 94 की अनुसूची

क्र० सं०	अनुसूची के भाग	माल का विवरण
43	4	वाटल सत्त ।
44	4	वाटल छाल ।
45	4	वाटल छाल को छोड़ कर चर्म शोधन के लिए छाल ।
143(सी)	4	अम्ल-मार्जित चमड़े, खालें, समूर की खालें, विखण्ड और उसके भाग ।
144(ए)	4	चमड़े और खालें, कच्चे या लवणित जहां चमड़ों और खालों का मूल्य ऊन/उसके बाल की कीमत से अधिक है ।
6	5	केब्राचो सत्त, चेस्टनट सत्त और आशोधित यूकलिप्टस सत्त (मिरटन) ।

[संख्या : 1/73]

-एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1978